

फा.सं. 354/129/2017-टीआरयू

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
टैक्स रिसर्च यूनिट

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
27 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त
/केंद्रीय कर आयुक्त (सभी)/प्रधान महानिदेशक/
महानिदेशक (सभी)

विषय:- बिना सिले हुए सलवार शूट्स के बारे में स्पष्टीकरण-

जीएसटी के अंतर्गत कपड़ों के "कटपीसेस" के वर्गीकरण के बारे में व्यक्त किए गए संदेह।

2. ऐसी बातें कहीं गयी हैं कि रेडिमेड वस्तुओं या परिधानों को तैयार किए जाने के पहले कपड़ों को बंडल या थान में से काटा जाता है और उनको बिना सिले हुए स्थिति में बेच दिया जाता है। उपभोक्ता इन सेटों या पीसो को खरीदकर अपनी नाप और आकार के अनुसार इसको सिलवा लेते हैं।
3. इन कपड़ों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची के अध्याय 50 से 55 के अंतर्गत उनके निर्माण सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इन पर 5 प्रतिशत की एक समान दर से जीएसटी लगाई जाती है और प्रयोग न किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड भी नहीं किया जाता है।
4. बंडल या थानों से विभिन्न लंबाई के टुकड़ों में इन कपड़ों को काटने मात्र से इन वस्तुओं की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कपड़ों के इन टुकड़ों को संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उसी वर्ग में रखा जाता है और इन पर 5 प्रतिशत की जीएसटी दर लगती है।
5. अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र के विषयवस्तु को प्रचार-प्रसार करने के लिए उपर्युक्त नोटिसे जारी की जाए।
6. इस परिपत्र के क्रियान्वयन में यदि कोई परेशानी आ रही हो तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय

राहिल गुप्ता
तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)

F. No. 354/129/2017-TRU

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Tax research Unit

North Block, New Delhi

27th October 2017

To,

The Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners/ Principal
Commissioners/ Commissioner of Central Tax (All) /
The Principal Director Generals/ Director Generals (All)

Madam/Sir,

Subject: Clarification on Unstitched Salwar Suits - regarding.

Doubts have been raised regarding the classification of Cut pieces of Fabrics under GST.

2. It has been represented that before becoming readymade articles or an apparel, the fabric is cut from bundles or thans and sold in that unstitched state. The consumers buy these sets or pieces and get it stitched to their shape and size.
3. Fabrics are classifiable under chapters 50 to 55 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 on the basis of their constituent materials and attract a uniform GST rate of 5% with no refund of the unutilized input tax credit.
4. Mere cutting and packing of fabrics into pieces of different lengths from bundles or thans, will not change the nature of these goods and such pieces of fabrics would continue to be classifiable under the respective heading as the fabric and attract the 5% GST rate.
5. It is requested that suitable trade notices may be issued to publicize the contents of this circular.
6. Difficulty if any, in the implementation of the circular should be brought to the notice of the Board. Hindi version would follow.

Yours faithfully,

Rahil Gupta

Technical Officer (TRU)